पत्रांकः 5प / स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय–01–09 / 2017 / 14 (आ0) / पं०रा०

अत्यावश्यक ई–मेल / फैक्स

बिहार सरकार

पंचायती राज विभाग

प्रेषक,

कल्पना कुमारी,
अनुश्रवण पदाधिकारी

सेवा में,

सभी जिला पंचायत राज पदाधिकारी,
बिहार।

पटना, दिनांक 08/05/2020

विषय : विभागीय राज्यादेश संख्या 08(स्वी०) दिनांक 05.05.2020 द्वारा स्वीकृत कुल ₹66,00,00,000.00 (छियासठ करोड़ रूपये) मात्र की राशि का आवंटन।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक कहना है कि विभागीय राज्यादेश संख्या 08(स्वी०) दिनांक 05.05.2020 द्वारा वित्तीय वर्ष 2020–21 में ग्राम कचहरी सचिव के नियत मानदेय के भुगतान हेतु ₹6,000.00 (छह हजार रूपये) प्रतिमाह की दर से **₹32,13,12,000.00 (बत्तीस करोड़ तेरह लाख बारह हजार रूपये) मात्र** एवं ग्राम कचहरी न्यायमित्रों को नियत फीस के भुगतान हेतु ₹7,000.00 (सात हजार रूपये) प्रतिमाह की दर से **₹33,86,88,000.00 (तैतीस करोड़ छियासी लाख अट्ठासी हजार रूपये) मात्र** अर्थात कुल **₹66,00,00,000.00 (छियासठ करोड़ रूपये) मात्र की राशि** की स्वीकृति प्रदान की गई है।

2. उक्त के आलोक में ग्राम कचहरी सचिव के नियत मानदेय तथा ग्राम कचहरी न्यायमित्रों को नियत फीस के भुगतान हेतु वित्तीय वर्ष 2020–21 में कुल **₹66,00,00,000.00 (छियासठ करोड़ रूपये) मात्र की राशि** निम्नरूपेण आवंटित की जाती है:–

क्र० सं०	जिला	ग्राम कचहरी सचिव के नियत मानदेय के भुगतान हेतु आवंटित राशि	ग्राम कचहरी न्यायमित्र के नियत फीस के भुगतान हेतु आवंटित राशि	कुल (3+4)
1	2	3	4	5
1	बक्सर	6522000.00	5684000.00	**12206000.00**
2	रोहतास	9492000.00	9898000.00	**19390000.00**
3	भोजपुर	8694000.00	9506000.00	**18200000.00**
4	नालन्दा	8274000.00	8771000.00	**17045000.00**
5	पटना	13692000.00	15190000.00	**28882000.00**
6	कैमूर	5712000.00	6664000.00	**12376000.00**
7	गया	12180000.00	14014000.00	**26194000.00**
8	नवादा	6972000.00	7595000.00	**14567000.00**
9	औरंगाबाद	8568000.00	9996000.00	**18564000.00**
10	जहानाबाद	3612000.00	3871000.00	**7483000.00**
11	अरवल	2604000.00	1666000.00	**4270000.00**
12	सारण	13314000.00	14112000.00	**27426000.00**
13	सिवान	11340000.00	12691000.00	**24031000.00**

लगातार

D:\MS Excel\Allotment\Allotment 2020-21\Estb & Commt Exp\Gram kachahri sachiv & Nyaymitr 2020-21\Letter 2020-21.docx

14	गोपालगंज	9366000.00	9408000.00	**18774000.00**
15	मुजफ्फरपुर	13692000.00	11760000.00	**25452000.00**
16	वैशाली	11508000.00	11858000.00	**23366000.00**
17	पू० चम्पारण	14070000.00	13720000.00	**27790000.00**
18	प० चम्पारण	12264000.00	13720000.00	**25984000.00**
19	सीतामढ़ी	10878000.00	10045000.00	**20923000.00**
20	शिवहर	2226000.00	2499000.00	**4725000.00**
21	भागलपुर	8862000.00	9653000.00	**18515000.00**
22	बांका	7518000.00	8624000.00	**16142000.00**
23	मधुबनी	14154000.00	12593000.00	**26747000.00**
24	समस्तीपुर	14826000.00	15190000.00	**30016000.00**
25	दरभंगा	11508000.00	13916000.00	**25424000.00**
26	सहरसा	5670000.00	5831000.00	**11501000.00**
27	मधेपुरा	6174000.00	7301000.00	**13475000.00**
28	सुपौल	6762000.00	6566000.00	**13328000.00**
29	पूर्णिया	8148000.00	9065000.00	**17213000.00**
30	अररिया	7518000.00	7742000.00	**15260000.00**
31	किशनगंज	4830000.00	5047000.00	**9877000.00**
32	कटिहार	9534000.00	9947000.00	**19481000.00**
33	मुंगेर	4242000.00	4949000.00	**9191000.00**
34	जमुई	6132000.00	7105000.00	**13237000.00**
35	बेगुसराय	10458000.00	11662000.00	**22120000.00**
36	खगड़िया	4914000.00	5782000.00	**10696000.00**
37	लखीसराय	2940000.00	2499000.00	**5439000.00**
38	शेखपुरा	2142000.00	2548000.00	**4690000.00**
कुल राशि		**321312000.00**	**338688000.00**	**660000000.00**
				(छियासठ करोड़ रूपये) मात्र

3. इस राशि की निकासी स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय अन्तर्गत ''मुख्य शीर्ष–2515–अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम–उप मुख्यशीर्ष–00 –लघुशीर्ष–198–ग्राम पंचायतों को सहायता–उपशीर्ष–0010–ग्राम कचहरी की विभिन्न मदों हेतु'' मद के विषय शीर्ष '0010.31. 06–सहायक अनुदान–गैर वेतन' इकाई से की जायेगी। इसकी मांग संख्या–16 एवं विपत्र कोड 16–2515001980010 है।

4. यह आवंटन वित्त विभाग के परिपत्र संख्या एम–4–05/98–2561 वि(2) दि० 17 अप्रैल 1998 एवं 383 दिनांक 20.03.2020 में निहित अनुदेशों के आलोक में निर्गत किया जा रहा है।

5. इस आवंटित राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित जिला के जिला पंचायत राज पदाधिकारी होंगे, जो आवंटित राशि का व्यय एवं उपयोग विभागीय राज्यादेश संख्या 08(स्वी०) दिनांक 05.05.2020 में निहित अनुदेशों के आलोक में करेंगे।

6. इस आवंटित राशि की निकासी संबंधित जिले के जिला कोषागार से बिहार कोषागार संहिता, 2011 के सुसंगत नियमों के आलोक में की जायेगी।

7. कोषागार में प्रस्तुत किये जाने वाले सभी विपत्रों पर मुख्य शीर्ष/लघुशीर्ष/ उपशीर्ष/प्राथमिक इकाई आदि की स्पष्ट मुहर, इकाईयों का कोड, विपत्र कोड एवं मांग संख्या

लगातार --

अनिवार्य रूप से अंकित की जाये ताकि महालेखाकार के कार्यालय में लेखा संधारण समुचित ढंग से हो सके।

8. वित्तीय नियमावली, बजट मैनुअल तथा अन्य सुसंगत अभिलेखों में निहित प्रावधानों तथा समय–समय पर निर्गत आदेशों का दृढ़तापूर्वक पालन किया जाये ताकि व्यय पर वास्तविक रूप से नियंत्रण रखा जा सके।

9. किसी भी परिस्थिति में आवंटन दिये जाने का अर्थ व्यय की स्वीकृति नहीं समझा जाये। भुगतान के औचित्य से पूर्णतः संतुष्ट होने के उपरान्त ही भुगतान की कार्रवाई की जाये। तदनुसार भुगतान सुनिश्चित करना संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की जिम्मेवारी होगी।

10. नियमानुसार स्रोत पर अनुमान्य कटौती करना तथा उसके लिए आवश्यक प्रमाण पत्र निर्गत करना संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी/भुगतान करने वाले पदाधिकारी की जिम्मेवारी होगी।

11. आवंटित राशि की व्यय विवरणी/उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रत्येक माह की पाँचवी तारीख तक अपने नियंत्री पदाधिकारी तथा मुख्यालय को भेजना सुनिश्चित किया जाये।

12. इस आवंटन प्रस्ताव एवं प्रारूप में प्रधान सचिव, पंचायती राज विभाग का अनुमोदन संचिका संख्या 5प/स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय–01–09/2017 के पृष्ठ संख्या 15/टि० पर दिनांक 06/05/20 को प्राप्त है।

13. इस आवंटनादेश के सभी पृष्ठ अनुश्रवण पदाधिकारी, पंचायती राज विभाग द्वारा हस्ताक्षरित हैं।

14. इसकी सूचना महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना को भी दी जा रही है।

विश्वासभाजन

08/05/2020

(कल्पना कुमारी)
अनुश्रवण पदाधिकारी

ज्ञापांकः 5प/स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय–01–09/2017/1413(आ०)/पं०रा० पटना, दिनांक 08/05/2020

प्रतिलिपिः–महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, पटना/सभी जिला पदाधिकारी/सभी जिला कोषागार पदाधिकारी, बिहार/प्रशाखा–08 एवं 05 (उपयोगिता प्रामाण पत्र कोषांग) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

08/05/2020

(कल्पना कुमारी)
अनुश्रवण पदाधिकारी

ज्ञापांकः 5प/स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय–01–09/2017/1413(आ०)/पं०रा० पटना, दिनांक 08/05/2020

प्रतिलिपि : आई०टी० मैनेजर, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं विभागीय बेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

08/05/2020

(कल्पना कुमारी)
अनुश्रवण पदाधिकारी

D:\MS Excel\Allotment\Allotment 2020-21\Estb & Commt Exp\Gram kachahri sachiv & Nyaymitr 2020-21\Letter 2020-21.docx